समाचार-प्रकाषनार्थ:-

अर्जून नगर में विकास षाखा की भूमि से अतिक्रमण हटाया

9 बीघा भूमि का कब्जा प्राप्त किया

षेश भूमि को षीघ्र अतिक्रमण मुक्त कर कब्जे में लिया जायेगा

रतलाम 29 दिसम्बर । अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की 22 बीघा से अधिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन मे निगम इंजीनियरए राजस्व निरीक्षक श्री मेहरबान सिंहए पटवारी व गिरधावर द्वारा मौके पर की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थल पर नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना की भूमि के नक्शे का अवलोकन किया व नगर निगम विकास शाखा की निर्मित स्वीकृत योजना लगभग 22 बीघा से अधिक की भूमि के भूमि पर अतिक्रमण होना पाये जाने पर नगर निगम व राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन कर 9 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटवाकर भूमि को कब्जे में लिया।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि उक्त भूमि 1982 में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि में से 9 बीघा भूमि को कब्जे में ले लिया गया है शेष भूमि जिसमें अतिक्रमण कर खेती की जा रही है उसे भी अतिक्रमण मुक्त कर शीघ्र कब्जे में लिया जायेगा। कब्जे में लिये जाने के पश्चात भूमि पर आवासीय योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

उक्त अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री सत्यप्रकाश आचार्य उपयंत्री श्री ब्रजेश कुशवाहए श्री विकास मरकाम आदि उपस्थित थे।

नगर के 100 प्रतिषत घरो से होगा गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्कीकरण

अलकापुरी के रहवासियों को कचरा पृथक्कीकरण की निगम आयुक्त ने दी समझाईष

रतलाम 29 दिसम्बर । स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर से गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लिये जा रहे फीडबेक के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड क्रमांक 7 अलकापुरी के रहवासियों के घर जाकर गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की जानकारी ली।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नगर निगम अधिकारीए नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों के साथ वार्ड का भ्रमण किया तथा वार्ड में चलने वाले कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परो को निर्देशित किया कि वे नागरिकों के घरों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक लें।

भ्रमण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से उनके द्वारा घर में पृथक किये जा रहे गीले-एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की जानकारी लेकर कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत घरोए दुकानों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चार प्रकार के डस्टबीन रखे जाने की अनिवार्यता की गई है इस हेतु वे गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए

पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के चार भागों में पृथक-पृथक डालें तथा किसी भी स्थिति में खुले में कचरा नहीं डालें।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे से घर में जैविक खाद बनाकर कचरे का निपटान कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही कर सकते हैं साथ ही कचरे से बनी खाद को अपने उद्यान की क्यारियों गमले आदि में डालेंगे तो पेड़ पौधे हरे-भरे होने के साथ ही पर्यावरण में भी सुधार होगा। इस अवसर पर मकान नम्बर बी 68 सुभाष नाहर के घर में गीले कचरे से बनाई जा रही खाद का अवलोकन कर उनकी प्रशंसा की।

अलकापुरी स्थित गणेश उद्यान के अवलोकन के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि उद्यान के कचरे से जैविक खाद बनाये जाने हेतु सभी व्यवस्थाऐं पूर्ण की जाये। इस अवसर पर उन्होने स्वंय उपस्थित रहकर उद्यान व उद्यान के आसपास रखी अनुपयोगी सामग्री को हटवाया साथ ही उद्यान को हरा-भरा रखने हेतु पानी सप्लाय की व्यवस्थाऐं पूर्ण किये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों को निर्देशित किया कि नगर के 100 प्रतिशत घरों से कचरा पृथक-पृथक लिया जाना है इस हेतु वे घर-घर जाकर 4 डस्टबीन रखने व कचरा पृथक्कीकरण की समझाईश नागरिकों को दें।

इस दौरान मंडल अध्यक्ष श्री मयूर पुरोहितए पूर्व क्षेत्रिय पार्षद श्री प्रहलाद पटेलए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए उपयंत्री श्री बी.एल. चौधरीए श्री मनीष तिवारीए नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्य उपस्थित थे।

अपना फर्ज निभाएगेंए शहर को स्वच्छ बनाएगे

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत सफाई मित्र समूह ने रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देकर शहर को नम्बर-1 बनाने का संकल्प दिलाया।

रतलाम 29 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तमाम प्रयास कर रहा है। इन्ही प्रयासों के चलते नागरिकों में सकारात्मक भाव जगाने के लिए कचरा मुक्त स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर रांगोली निर्माण और दीपदान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इन्ही प्रयासों के चलते सोमवार को बाजना बस स्टेण्डए गौशाला रोड़ सहित आधा दर्जन इलाकों में रांगोली निर्माण के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया तो लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम शहर के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए नियत स्थान पर कचरे के निपटान करेगे और नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयासों में सहयोग करेगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान 2021 के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान मंगलवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 31 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 29 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सिविक सेन्टरए राम मंदिरए शहर सरायए धानमण्डीए न्यू रोड व दो बत्ती क्षेत्र में गंदगी व मलबा फैलाने पर दुर्गा टेª ेडर्सए रामेश कम्पनीए ओम शक्तिए सिद्धी कन्सेशनरी पर 1000.1000ए अखिलेशए मणीलाल गांधीए बालाजी रेस्टोरेंटए जय मोहनए हातिम पाकावालाए जनसेवा व रूपायन रवि टेª डर्स पर 500.500ए महाकाल पानी पतासाए आदिल सिद्धिकीए कैलाश गजक भण्डारए संतोष कुमार सोलंकीए हेमन्त गुप्ताए आनन्द पालीवालए दुर्गा मिष्ठानए नीरज उपाध्यायए अरिहंतश्रीए खलसाजीए विजय कुमारए अरिहन्त प्लास्टिक पर 250.250ए गौरव पर 200ए राजेशए संजय गर्गए आयुष जैनए रमेशए पेन सेन्टरए मोहम्मद रिजवान व साबिरभाई पर 100.100 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई।

गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त
68 दिनों में 107 वॉल्व व 479 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 29 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 29 दिसम्बर तक 107 वॉल्व व 479 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 29 दिसम्बर मगलवार को निराला नगरए सर्वोदय नगर भारत गैस गोडाउन के पासए कस्तुरबा नगर त्रिवेदीजी के मकान के सामने पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाये जाने के साथ जवाहर नगर मुख्य मार्ग राठौर जी के घर के सामने 12 इंची पाईप लाईन में 8 फीट का नया पाईप जोड़ा गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 29 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए रैन बसेरा सिविक सेन्टरए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्डए रेलवे स्टेशनए नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लिये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश

रतलाम 29 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा वार्ड क्रमांक 7 व 14 सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आस्था के सदस्यो द्वारा शिवशंकर कालोनीए प्रताप नगरए सुभाष नगर में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 29 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 29 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख

रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

दिलबहार चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 56ए77ए854६. संपत्तिकर व 24ए50ए900६. जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 29 दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गिरावटए सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरूपति नगर में

षिविर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 54ए244६. व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६.ए महावीर नगर षिविर में जलकर 45ए550६.ए पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 5ए91ए492६. व जलकर 1ए31ए930६.ए चौगानिया भेरू मंदिर षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए109६. व जलकर 1ए26ए280६.ए सायर चबुतरा षिक्षा विभाग के पास आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६.ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 2ए65ए000६. व जलकर 2ए31ए675६.ए षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर 4ए03ए000६. व जलकर 2ए27ए300६.ए दो बत्ती षिविर में संपत्तिकर 2ए46ए000६. व जलकर 3ए23ए910६.ए दिलबहार

चौराहा षिविर में संपत्तिकर 1ए41ए000ध्. व जलकर 2ए02ए240ध्. की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षिविरों मेंें 56ए77ए854ध्. संपत्तिकर व 24ए50ए900ध्. जलकर की राषि जमा कराई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध्. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध्. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध्. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध्. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध्. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध्. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000ध्. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार

में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 493 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 29 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 29 दिसम्बर तक 493 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 29 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 493 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 29 दिसम्बर मंगलवार को पावर हाउस रोडए तोपखानाए धानमण्डीए चांदनी चौकए सैलाना बस स्टैण्ड से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/**29ण्12ण्2020ध्**न.पा.निगम**ए** रतलाम.